

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

विकास भवन, निकट सर्वे चौक, देहरादून।

पत्रांक : /आजीविका /प्रशि0/2014-15,

दिनांक : मार्च 2015

आवासीय प्रशिक्षण स्थल/गेस्ट हाउस/होटल आदि की सम्बद्धता हेतु आमंत्रण पत्र

भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास की एक स्वायत्त संस्था "उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन" द्वारा किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर ग्रामीण निर्धन परिवार की महिलाओं की सशक्त एवं स्थायी संस्था बनाकर आजीविका के अवसरों को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को कम करना है।

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न राज्य/जिला स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशाला/समीक्षा बैठक के आयोजन एवं राष्ट्रीय/राज्य/जनपद स्तर के विभिन्न अतिथियों के लिए आवास/होटल की आवश्यकता हेतु सरकारी, गैर सरकारी आवासीय प्रशिक्षण स्थल, होटल और गेस्ट हाउस से निम्न सेवाये लेने हेतु प्रतिष्ठित सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी होटल/गेस्ट हाउस के सम्बद्धता हेतु आमंत्रित करती है

क्र०सं०	सेवाओं का प्रकार	आवश्यकता (किसी एक समय में)
1	2	3
1	समय समय पर राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अधिकारियों के ठहरने हेतु कमरे/भोजन की व्यवस्था हेतु	अनुमानित व्यक्ति की संख्या 1-10 अनुमानित दिनों की संख्या 1-7 ठहरने हेतु वातानुकूलित रुम भोजन/चाय/नाश्ते की व्यवस्था
2	समय समय पर जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के ठहरने हेतु कमरे /भोजन की व्यवस्था हेतु	व्यक्ति की संख्या 1-20 अनुमानित दिनों की संख्या 1-4 ठहरने हेतु वातानुकूलित रुम भोजन /चाय/नाश्ते की व्यवस्था
3	समय समय पर आवासीय राज्य/जिला/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों हेतु आवासीय प्रशिक्षण/बैठक के आयोजन हेतु	व्यक्ति की संख्या 20-40 अनुमानित दिनों की संख्या 2-8 ठहरने हेतु रुम/वातानुकूलित रुम सिंगल /डबल शेयरिंग /ट्रिपल शेयरिंग भोजन /चाय /नाश्ते की व्यवस्था 25-40 प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण कक्ष/कांफ्रेंस रुम
4	समय समय पर सामुदायिक रिसोर्स पर्सन (महिला) सामुदायिक केंडर (महिला) अन्य सामुदायिक रिसोर्स पर्सन (महिला/पुरुष) के ठहरने हेतु/भोजन की व्यवस्था हेतु	व्यक्ति की संख्या 20-60 दिनों की संख्या : 1-2 ठहरने हेतु रुम डबल/ट्रिपल शेयरिंग/डारमेटरी भोजन /चाय/नाश्ते की व्यवस्था 20-60 प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण कक्ष/कांफ्रेंस रुम

इच्छुक योग्य एवं प्रतिष्ठित सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें/निजी होटल/गेस्ट हाउस के प्रतिनिधि विज्ञापन तिथि के 15दिन के भीतर संलग्न प्रारूप पर बंद लिफाफे में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश

की वेबसाइट (srlm.uk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

भवदीय

(युगल किशोर पन्त)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य ग्राम्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
विकास भवन, निकट सर्वे चौक, देहरादून।

पत्रांक : /आजीविका /प्रशि0/2014-15,

दिनांक : मार्च 2015

आवासीय प्रशिक्षण स्थल/गेस्ट हाउस/होटल आदि की सम्बद्धता हेतु आवेदन/प्रस्ताव पत्र
का प्रारूप

(केवल देहरादून स्थित प्रतिष्ठित सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें/निजी होटल/गेस्ट हाउस
हेतु)

1. सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें/निजी होटल/गेस्ट हाउस का नाम :
2. पूरा पता/बेबसाईट/ई-मेल/फोन नम्बर :
3. प्रकार : सरकारी/गैर सरकारी संस्थान/निजी होटल/निजी गेस्ट हाउस :
4. क्या पंजीकृत है यदि हाँ -

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण दिनांक	पंजीकृत करने वाले संस्थान का नाम/कहाँ से पंजीकृत हैं

5. अनुभव -

क्रम संख्या	ग्राहक/सरकारी/गैर सरकारी संस्थान/निजी कंपनी का नाम जहाँ से सम्बद्धता है/जहाँ से ग्राहक आते हैं	वर्षों की संख्या	टिप्पणी

6. कटेगरी जिसके लिए संस्थान/प्रतिष्ठान आवेदन करना चाहती है (1/2/3/4/समस्त)

7. केवल आवासीय व्यवस्था का प्रकार एवं प्रस्तावित किराया -

क्रम संख्या	आवासीय व्यवस्था का प्रकार (सूट/ए.सी. रुम/रुम आदि)	किराया/प्रस्तावित दर रुपये में				
		रुम की संख्या	खाली रुम का किराया	प्रातः नाश्ता सहित	प्रातः नाश्ता व रात्रि के भोजन सहित	प्रातः नाश्ता/चाय/दो पहर व रात्रि का भोजन सहित

8. आवासीय प्रशिक्षण/बैठक हेतु सुविधायें एवं किराया –

संख्या	किराया (रुपये में)		भोजन व्यवस्था (प्रति दिन प्रति व्यक्ति की दर से) बेड टी, ब्रेकफास्ट टी सहित, दोपहर व रात्रि के भोजन दो अतिरिक्त चाय आदि					
	ए0सी0	नॉन ए0सी0	ए0सी0	नॉन ए0सी0	सादा	स्पेशल (वेज)	स्पेशल (नॉन वेज)	वी.आई. पी. व्यवस्था
सिंगल रुम								
डबल शेयरिंग रुम								
डारमेटरी								
प्रशिक्षण कक्ष/कांफ्रेंस रुम छोटा (15-30)								
प्रशिक्षण कक्ष/कांफ्रेंस रुम छोटा (15-30)								
अन्य								

नोट :- उपरोक्त 7 - 8 से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी अलग से भी दी जा सकती है।

9. सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें/निजी होटल/गेस्ट हाउस की तहफ से दी जाने वाली कॉम्प्लीमेंटरी/सुविधाएं/रियायत

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
10. विशेष दर बल्क बुकिंग यदि कोई हो तो
11. उक्त प्रस्तावित दर कितने समय हेतु लागू होगा। (आगामी तीन माह/छह माह/एक साल तक/आदि)
12. यदि किराये/दर में वृद्धि/बढ़ोतरी होती है तो वृद्धि/बढ़ोतरी दर का अनुमानित प्रतिशत –
13. सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें/निजी होटल/गेस्ट हाउस का टर्न ओवर (पिछले तीन साल का) (इसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न/अन्य डाक्यूमेन्ट की स्व प्रमाणित प्रति जमा करें)
14. वैट, पैन, टिन आदि डाक्यूमेन्ट की स्वप्रमाणित प्रति इस आवेदन के साथ जमा करें।
15. उधार/क्रेडिट सम्बन्धी सुविधाएँ :
अवधि (दिनों में) –
राशि (रुपये) –
16. अन्य कोई सूचना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थायें/निजी होटल/गेस्ट हाउस के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम :

पद :